



2026:AHC:41944

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-7581 सन् 2026

रामाश्रय राम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता

: वीरेन्द्र कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: भूपेन्द्र कुमार त्रिपाठी, (सी.एस.सी)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1-पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2-प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी उक्त आदेश से स्वयं को आहत/प्रभावित महसूस करता/करती है, तो उसे आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

3-याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(1) के अंतर्गत प्रारंभ की गई कार्यवाही, वाद संख्या 14181 सन् 2025, प्रतिवादी संख्या-3/उप-जिलाधिकारी, सदर गाजीपुर के समक्ष लंबित है। यह भी तर्क दिया गया कि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अब तक इस प्रकरण में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4-प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या-3/उप-जिलाधिकारी, सदर गाजीपुर उपर्युक्त वाद का विधि के अनुसार निस्तारण करें तथा अनावश्यक स्थगन न प्रदान करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

5-यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा वाद के गुण-दोष के आधार पर कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

24 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।